अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड ..... कठूमर जिला अलवर

मसल नं. 2/207/2020 तारीख रजू.....

चन्द्रवती बनाम कैलाश वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे बकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, वाके ग्राम खेरली रेल तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके यथास्थिति वनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 08.12.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 08.12.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
8/12/20	बकुलाय खरीकेन एस०/P.O. साहब अन्यकार्य [illegible] पत्रावली दिनांक 9-12-20 को पेश हो।	
02/02/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर प्रार्थना-पत्र खारिज कराने का निवेदन किया। प्रार्थना-पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र [illegible] वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	[illegible] चन्द्रवती